संख्या- 09/2021/2071/बयालिस-2021-01(घोषणा)/2021 टी0सी0।।

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021**

विषय- मिनी/कैडेट एवं यूथ वर्ग की खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों की प्रदेशीय टीमों के खिलाडियों को भी सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों की भॉति विशेष प्रशिक्षण शिविर, खेल किट एवं रेलभाड़े प्रतिपूर्ति की सुविधा सुसंगत मद से दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 341/मा0मु0मं0घोषणा (छा0 डायटमनी)/2021-22 दिनांक 02.09.2021 एवं जी- 624/मा0मु0मं0घोषणा (टीम सुविधा)/ 2021-22, दिनांक 24.11.2021 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीनियर जनियर एवं सबजनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली खेल माग द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों की प्रदेशीय टीमों को विशेष प्रशिक्षण शिविर, खेल किट एवं रेलभाड़े प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। विभिन्न खेलों में उपरोक्त वर्गों के अतिरिक्त मिनी/कैडेट एवं यूथ वर्ग की टीमें भी राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करती हैं। इन टीमों के खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा संदर्भित सुविधायें नहीं दिये जाने के कारण प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को अपने स्वयं के खर्च पर जाना पड़ता है, साथ ही खेल किट न मिलने के कारण उक्त वर्गो की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में खिलाड़ी अलग-अलग रंगो का खेल किट में प्रतिभाग करते हैं जिसके कारण खिलाड़ियों की खेल किट में एकरूपता नहीं रह पाती हैं।

2- अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री राज्यपाल मिनी/कैडेट एवं यूथ वर्ग की खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों की प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को भी सीनियर, जूनियर एवं सबजूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों की भाँति विशेष प्रशिक्षण शिविर, खेल किट एवं रेलभाडे प्रतिपूर्ति की सुविधा सुसंगत मद से दिये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- सीनियर, जूनियर एवं सबजूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों हेतु निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो की भॉति सभी शर्ते मिनी/कैडेट एवं यूथ वर्ग के खिलाडियों पर भी यथावत् लागू होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- मिनी/कैडेट एवं यूथ वर्ग के खिलाड़ियों को उपरोक्त सुविधा सुसंगत मदों में हुए प्राविधान से वहन किया जाएगा।

(3)- उक्त संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पंजी संख्या- ई-5-317/दस-2021,दिनांक 29.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 9/2021/2071(1)/बयालिस-2021-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
5- नियोजन अनुभाग- 4
6- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।